

Form LTC

[Rule 163E (6)]

06//Pol.-86/2016

Form of License to Establish Pollution Testing Station.

License No. 377/2017

Dated : 25/4/17

1. A License is hereby granted to Sri Mukesh, S/O- Sri Suresh Kumar Sharma, Vill- Rohua Appuch, P.O+P.S-Mushari, Dist- Muzaffarpur to establish a pollution testing station. The P.T.S. will be established at place/building Rohua Rajaram, P.O+P.S-Mushari, Block- Mushari, Subdivison- Muzaffarpur (E), Dist- Muzaffarpur. The PTS is authorized to test the following types of vehicles:-

(a) Petrol Diesel both

Under Motor Vehicle Act 1988, Central Motor Vehicle Rules 1989 & Bihar Motor Vehicle Rules 1992.

2. The License will be valid from : 26.04.2017 to 25.04.2019

Date :

Seal :

Signature of Licensing Authority
बिहार, पटना 3/25/17

The license is hereby renewed from to

(Signature of License Authority)

आपंक :

1994

पटना, दिनांक

25/4/17

प्रतिलिपि: 1. श्री मुकेश, पिता-श्री सुरेश कुमार शर्मा, ग्राम- रोहुआ आपुछ, पो0-थाना मुशाहरी, जिला- मुजफ्फरपुर को मूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी आर.टी.ए./सभी डी.टी.ओ./बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पंच, पटना को मूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. आई. टी. मैनेजर को विभागीय ब्रेक्सआईट पर डालने हेतु मूचनार्थ प्रेषित।

(Signature of License Authority)

नोट:- यह अनुज्ञप्ति पारपुष्ट पर उल्लेखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

शर्तें:-

1. एक वार्षिक पंजी का संधारण, जिसमें प्रदूषण उत्सर्जन स्तर के लिये **जांच** किये गये मोटर वाहनों की विशिष्टियों का उल्लेख रहेगा ।
 - (i) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र संख्या ।
 - (ii) जांच किये गये वाहन की निबंधन संख्या, निर्माता, मॉडल तथा निबंधन का वर्ष ।
 - (iii) निरीक्षण के समय गैस/धुएं का स्तर/कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिशत ।
2. निरीक्षण किये गये मोटर वाहन की निबंधन संख्या, निरीक्षण के परिणाम तथा निर्गत किये गये प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की संख्या के संबंध में **जानकारी** देते हुए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को अगले माह के पांच तारीख तक मासिक प्रतिवेदन देना होगा।
3. अपना केन्द्र मोटर यान निरीक्षक या परिवहन विभाग के उच्चतर **पंक्ति** के किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिये खुला रखना होगा साथ ही केन्द्र द्वारा **संधारित** सभी उपकरण एवं अभिलेख उपलब्ध कराना होगा ।
4. केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 115 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुपालन में मोटर वाहन की किसी भी त्रुटि को दूर करना होगा ।
5. बिहार मोटर गाड़ी (संशोधन) नियमावली 2003 के नियम 163 ग के अधीन विहित फीस से अधिक प्रचारित नहीं करना होगा ।
6. अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना जांच केन्द्र को अनुज्ञप्ति में उल्लिखित परिसर से न हटाना होगा ।
7. प्रदूषण जांच के लिए मोटर वाहन देने वाले मालिक या चालक के वाहन को जांच शीघ्र की जायगी तथा उन्हें जांच केन्द्र का मालिक अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र शीघ्र देगा ।
8. प्रदूषण जांच केन्द्र का मालिक चालक को संकेत देते हुए प्रदूषण जांच केन्द्र नामक एक साइन बोर्ड सहज दृश्य स्थान पर लगायेगा जिसमें उसका नाम, अनुज्ञप्ति संख्या तथा स्थान का नाम उल्लिखित रहेंगे ।
9. प्रदूषण जांच केन्द्र का मालिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की 100 पन्नों की तीन प्रतियों में बंधी हुई पुस्तिका प्रत्येक पर क्रम से नम्बर अंकित होगी, **संधारित** करेगा और प्रत्येक पुस्तिका अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होगी ।
10. अनुज्ञप्तिधारी को विभागीय अधिसूचना सं0 3144 दिनांक 05.08.04 एवं विभागीय परिपत्र सं0 4064 दिनांक 12.10.04 में निहित शर्तों का पालन करना होगा ।
11. अनुज्ञप्तिधारी विभाग द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में ही प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे ।
12. प्रदूषण जांच केन्द्र में केवल कैमरा का ही प्रयोग किया जायेगा । उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी ।